

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 1, 1982/ पौष 11, 1903
No. 3] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 1, 1982/PAUSA 11, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
पढ़ा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त प्रन्त्रालय
(सरकारी उद्यम कार्यालय)

संकल्प

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1981

सं० ए-42011/8/81-प्रशासन—दिनांक 12 अगस्त, 1980 के एफ० पी० आर/53/79-उत्पादन संख्यक संकल्प के अनुसार कोयला, इस्पात, नौवहन, उर्वरक और रसायन एवं इंजीनियरी क्षेत्रों के अंतर्गत चुनिंदा उद्यमों के कार्यचालन की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी और इसे गठन की तारीख अर्थात् 12 अगस्त, 1980 से एक वर्ष के भीतर अपना कार्य पूरा करना था तथा इसका कार्यकाल दिनांक 31 अगस्त, 1981 के ए० 42011/8/81-प्रशासन संख्यक द्वारा 31 दिसम्बर, 1981 तक और बढ़ा दिया गया था। क्योंकि समिति द्वारा अभी कुछ उद्यमों के कार्यचालन की जांच और उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना शेष है, अतः इसका कार्यकाल 31 मार्च, 1982 तक बढ़ाने का निर्णय किया गया है।

आदेश

यह आदेश है कि यह संकल्प भारत के प्रसाधारण राजपत्र के भाग I—खण्ड 1 में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश है कि इसकी प्रतिया भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों, संघीय राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और अन्य सभी संबंधितों को भेज दी जाए।

प्रह्लाद कुमार बसु, महानिदेशक,
सरकारी उद्यम कार्यालय एवं अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Bureau of Public Enterprises)

RESOLUTION

New Delhi, the 31st December, 1981

No. A. 42011/8/81-Admn.—Vide Resolution No. F. PR/53/79-Prod. dated the 12th August, 1980 an Expert Committee was set up to examine the working of selected Enterprises in Coal, Steel, Shipping, Fertilizer & Chemicals and Engineering Sectors and to complete its work within one year from the date of constitution i.e. 12 August, 1980, which was further extended upto 31st December, 1981 Vide Resolution No. A 42011/8/81-Admn. dated 31st August, 1981. As the Committee is yet to examine the working of some of the Enterprises and submit reports thereon, it has been decided to extend its tenure for a further period upto 31st March, 1982.

*** ORDER**

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I—Section I.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Department of the Government of India, Public Sector Undertakings, State Governments/Administrations of Union Territories and all others concerned.

P. K. BASU, Director General,
Bureau of Public Enterprises and Additional Secy.